

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर
CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR
(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)

First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur – 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393 www.cgmedicalcouncil.org

E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/शिका 157/2024-25/95

रायपुर दिनांक:-28/03/2025

// आदेश //

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में डॉ. सुषमा वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, संचालक सर्वोदय हॉस्पिटल मोवा, रायपुर के द्वारा डॉ. मनोज चेलानी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, संचालक आयुष हॉस्पिटल, अशोका रत्न रायपुर के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी।

शिकायत प्रकरण में डॉ. सुषमा वर्मा को डॉ. मनोज चेलानी के द्वारा व्हाट्सएप में अपशब्द अभद्रता पूर्वक बातचीत करने आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी मैसेज करने से डॉ. वर्मा को मानसिक रूप से ठेंस पहुंची है।

समिति के द्वारा दोनो पक्षकारों के अभिकथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया, तथा समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता के साथ परिशीलन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से परिशीलन करने एवं मामले की विवेचना के पश्चात् डॉ. मनोज चेलानी का पंजीयन क्रमांक सीजीएमसी 1837/2008 दिनांक 14.08.2008 को 03 माह (तीन माह) दिनांक 28.03.2025 से दिनांक 27.06.2025 तक के लिए निलंबित किया जाता है।

इस आदेश के प्रभावी होने के फलस्वरूप अनावेदक चिकित्सक डॉ. मनोज चेलानी चिकित्सा पद्धति (एलौपैथी) में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

अपील के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना:- नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम 2019 की धारा 30 (3) के प्रभाव को देखते हुए दिनांक 06.10.2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी राज्य की नैतिकता, अनुशासनात्मक एवं रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर ही उक्त निर्णय के विरुद्ध विधि में निर्धारित समयावधि में नेशनल मेडिकल कमीशन के कार्यालय पॉकेट 01 सेक्टर 08 द्वारका नई दिल्ली में अपील कर सकते हैं।

(संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह अध्यक्ष, छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् के द्वारा अनुमोदित)




रजिस्ट्रार

छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

निरंतर02

//2//

पु.क्रमांक/सीजीएमसी/शिका 157/2024-25/ 96

रायपुर दिनांक:- 28/03/2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-08, द्वारका नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सेक्टर 19, स्वास्थ्य भवन, प्रथम तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़।
4. आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ सेक्टर 19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
6. डॉ. सुषमा वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल मोवा, रायपुर छत्तीसगढ़।
7. डॉ. मनोज चेलानी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर आयुष हॉस्पिटल, अशोका रत्न रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के संदर्भ में मूल स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर कार्यालय में जमा करे।
8. अध्यक्ष/सचिव, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एसोसिएशन छत्तीसगढ़।
9. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. समस्त शाखाएं, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती।


रजिस्ट्रार

छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर